


REVIEW OF RESEARCH

पितृसत्ता एवं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति



गोविन्द सोनकर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

सारांश

इस शोध आलेख-पत्रा का आधार भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने से है। आधुनिक संचार के माध्यमों का महिलाओं के उफपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है? उसके उफपर भी प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ पितृसत्तात्मक समाज के उफपर भी पफोकस किया गया है।

संकेत-शब्द:—पितृसत्ता, नारीवाद, पूंजीवाद, आंदोलन, आरक्षण, असमानता, लोकतंत्रा इत्यादि।

पितृसत्ता एवं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति

प्रस्तावना

प्राचीन समय से लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो भारतीय समाज एक पुरुष-प्रधान समाज रहा है। यहाँ पर पुरुषों को महिलाओं की तुलना में विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय समाज में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से श्रेष्ठता प्रदान की गयी है। अल्पाहारी शब्दों में कहें तो पुरुषों का स्त्रियों के उफपर वर्चस्व रहा है। परन्तु सबसे मूलभूत प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान परिदृश्य में पुरुष एवं महिला के मध्य जो गलाकाट असमानताएँ पूर्व एवं पश्चिम में देखने को मिलती हैं, क्या वह नैसर्गिक हैं? क्या प्रकृति ने खुद उसे बनाया है? जब हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर के तहखाने में जाते हैं तो यह पाते हैं कि प्रकृति ने इसे नहीं बनाया है बल्कि पुरुषों ने स्वयं समाज में इसको अमली जामा पहनाया है।

धर्म, नैतिकता, परिवार, संस्कृति, रूढ़िवादी परंपरा, सामाजिक मूल्यों, एथिक्स एवं शक्ति संरचना के आधार पर मन-गढंत कहानियाँ बनाकर स्त्रियों को विवशता की बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया गया है। मिसाल के तौर पर पुरुष अपने बुद्धि, कौशल एवं ज्ञान के माध्यम से जमीन पर रंगने वाले जीव-जन्तुओं से लेकर ब्रह्माण्ड में घटित होने वाली घटनाओं के उफपर विजय प्राप्त करने में सफलता अर्जित की है। खूँखार एवं आदमखोर जानवरों से लेकर सृष्टि की सारी चीजों पर अपना एकाधिकार जमाने में सफल रहा है। इसी तरह से स्त्री को भी अपना दास बनाने में जिस घिसी-पिटी तकनीकी एवं आधुनिक तंत्रा-मंत्रा का सहारा लिया है, वह मात्रा कुछ भी नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक-व्यवस्था है, जो स्त्री के तन-मन में घोल बनाकर उड़ेल दिया गया है। जिसे आजकल की दुर्बल एवं मात्राकुछ सबल नारी न तो इस विषैले जहर को पचा पा रही है और ना ही इस पितृसत्तात्मक संरचना की जंजीरों से निकल पा रही है। समाज, कार्य-स्थल, परिवार, सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर महिलाओं के साथ हो रहे दमन, शोषण, उत्पीड़न एवं भेदभाव तो एक आम बात बनकर रह गयी है।

पितृसत्ता का अर्थ : (MEANING OF PATRIARCHY)

पितृसत्ता के सन्दर्भ में कमला भसीन का कहना है कि – पितृसत्ता, शक्ति के उन रिश्तों को दर्शाती है जिनके माध्यम से पुरुषों का स्त्री पर वर्चस्व स्थापित होता है।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने श्रम को इस प्रकार से विभाजित कर दिया है कि आज नारी केवल घरों की दीवारों में सिमटी रह गयी है। घरेलू काम-काज के साथ-साथ बच्चे का पालन-पोषण करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हाथों पर छोड़ दिया गया है। जबकि स्त्री-पुरुष के आपसी सहमति से ही बच्चे का जन्म होता है। नारीवादी विचारधरा के सर्मथक स्त्रियों के साथ होने वाले इस प्रकार के भेदभाव, घरेलू हिंसा एवं शोषण के खिलाफ समानता के अधिकारों की माँग कर रहे हैं।

पितृसत्ता शब्द की उत्पत्ति पेट्रिआर्क्य शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ पत्राधिर्माध्यक्ष्य होता है। यह पद-श्रेणी व्यवस्था पर आधारित कुछ चर्च के बिशपों में से उच्च पद पर आसीन किसी खास-बिशप के लिए प्रयुक्त होता है। इस तरह यहाँ पेट्रिआर्क्य शब्द उसके पद या प्राधिकार को व्यक्त करता है।

नारीवाद का इतिहास (HISTORY OF FEMINISM)

यद्यपि नारीवाद एक विचारधरा है, जो कि बहुत ही विवादास्पद विषय है। क्योंकि प्राचीन समय में भारतीय नारियों के सन्दर्भ में किसी भी तरह के इतिहास का अवलोकन देखने को नहीं मिलता है। इसके सन्दर्भ में गर्दालर्नर का कहना है कि पस्त्री के अनवरत दमन, शोषण का एक कारण स्त्री का इतिहास न होना, उसके अपने नायकों का नहीं होना आदि बताती है।

भारतीय समाज में जब हम महिलाओं की स्थिति के उफपर विचार करते हैं तो पाते हैं कि भारतीय समाज में भी अनेको तरह बुराईयाँ एवं कुरितियाँ प्रचलन में थी। उदाहरण के रूप में सतीप्रथा, बाल-विवाह, बहु-विवाह, देवदासी प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा-प्रथा, दहेज इत्यादि समस्याओं से बुरी तरह से ग्रसित था। इन सामाजिक बुराईयों को जड़ से समाप्त करने हेतु अनेक महापुरुषों जैसे- राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, महादेव गोविन्द रानाडे, पंडित रमाबाई, श्रीमति एनीबेसेन्ट, स्वामी विवेकानन्द, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, लार्ड विलियम बैण्टिक इत्यादि ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है।

वास्तविकता यह भी है कि सम्पूर्ण संसार में पसंस्कृति एवं सभ्यता के विकास का इतिहास भी महिलाओं के दमन, शोषण, घरेलू हिंसा, बलात्कार एवं उत्पीड़न का इतिहास रहा है। यही कारण है कि वर्तमान समय में महिलाओं के साथ हो रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आधार पर भेदभाव का यह दस्तूर आज भी जारी है। सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्पीड़न की घटना दिन-प्रतिदिन सुनने को मिलती है। बच्चे के लालन-पालन, सेक्स एवं जेण्डर के आधार पर हो रहे भेदभाव का सिलसिला रूकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नारीवादी विचारधरा के सर्मथक समाज में महिलाओं के साथ हो रहे असमानता के व्यवहार को जड़ से समाप्त करने एवं पुरुषों के समान अधिकारों की वकालत करते हैं। उनका यह भी कहना है कि ये असमानताएँ जो समाज में पफैली हुयी हैं, वह न ही प्राकृतिक हैं और न ही नैसर्गिक हैं। विश्व में ऐसे ही पुरुष एवं स्त्री नारीवादी कहलाने का अधिकार रखते हैं जो स्त्री के लिए समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का पुरजोर सर्मथन करते हैं। स्त्रियों के खिलाफ समाज में पफैली कुरितियों को समाप्त करके एक समतामूलक समाज का गठन किया जाना चाहिए। पोस्ट पफेमिनिज्म विचारधरा के सर्मथक स्त्री एवं पुरुष के समान अधिकारों की बात तो करते हैं परन्तु स्त्री के उफपर पुरुष के वर्चस्व का विरोध करते हैं। समाज में महिलाओं को नीचा दिखाने में आधुनिक युग के तकनीकी संसाधनों ने भी अपनी महती भूमिका अदा किया है। एक तरपफ जहाँ कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट पर अश्लील विडियो, पोर्नोग्राफी, माडलिंग, पिफल्मों में अश्लील चल-चित्रा, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने हेतु महिलाओं को कम कपड़े में प्रस्तुत करने का चलन इस वैश्वीकरण के दौर में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। वही दूसरी तरपफ

पितृसत्ता एवं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति

अश्लील साहित्य एवं उपन्यासों में भी महिलाओं की दयनीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। रेडियों एवं एफ.एम. चैनलों पर उत्तेजक एवं भड़काऊ संवाद व गीत भी इसके लिए जिम्मेदार है।

पूर्व एवं पश्चिम के प्राचीन धार्मिक-ग्रंथों मनुस्मृति एवं बाइबिल में स्त्रियों के साथ किये जाने वाले अमानवीय व्यवहार के उफर-पफोकस करता है। जहाँ मनुस्मृति में सभी जातियों के स्त्रियों को शिक्षा एवं सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। वहीं बाइबिल में पश्चिम की महिलाओं को पुरुषों के प्रति पूरी तरह से समर्पित दिखाया गया है। समाज में महिलाओं को इस दुखद एवं दयनीय स्थिति से निजात दिलाने में युनाइटेड किंगडम में सर्वप्रथम कुछ अधिकार एवं संरक्षण प्रदान किया गया। 1972 ई. में मैरी वोल्सटनक्राफ्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक पवित्रिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वूमैन में महिलाओं के लिए सर्वप्रथम आर्थिक स्वतंत्रता एवं समान अधिकारों की बात कही गयी।

उस समय में एक विवाहित स्त्री को उसके परिवार की सम्पत्ति में कुछ भी वैधनिक अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। तत्पश्चात् जॉन स्टुअर्ट मिल्स जो कि अपने सहपाठी हेरियट टेलर के विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने पुरुषों के समान महिलाओं के लिए भी समान अधिकारों एवं एक समान राजनीतिक अधिकार की माँग की। भारत में महिलाओं को स्वतंत्रता एवं अधिकार प्रदान करने हेतु 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों में मांगे जोर पकड़ने लगे। 1960 के दशक में विभिन्न नारीवादी समर्थकों के संरक्षण में महिलाओं ने खुलकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना प्रारम्भ कर दिया। भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने हेतु 1974 में एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय को मुम्बई में खोला गया। जिसमें एक विशेष शैक्षणिक केन्द्र फरिसर्च सेण्टर ऑफ वूमैन स्टडीज खोला गया। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता पश्चात् 1986 में भारत में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान यू.जी.सी. ने महिलाओं के अध्ययन हेतु अनेक शाखाओं को प्रारम्भ किया।

नारीवाद:-

नारीवाद एक राजनीतिक-सिद्धान्त के रूप में स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों की वकालत करता है। समाज में जो भी असमानताएँ देखने को मिलती हैं, उसका मौलिक कारण पितृसत्ता है। पितृसत्ता में यह कहा जाता है कि भारतीय समाज में पुरुषों को स्त्री की अपेक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ एवं अधिक शक्ति प्रदान की गयी है। परन्तु नारीवादी इस असमानता को समाज से नेस्तनाबूद करके एक न्यायोचित समता मूलक समाज के गठन की बात करते हैं।

नारीवाद, समानता महिलाओं के साथ हो रहे शोषण उत्पीड़न एवं अत्याचार के खिलाफ एक एकीकृत आवाज का समर्थन करता है। वर्तमान समय में नारीवाद के सन्दर्भ में समय-समय पर विभिन्न तरह के दृष्टिकोण प्रचलित हैं।

1. उदारवादी नारीवाद:-

उदारवादी नारीवाद का विचार 1950-60 के दशक में कापफी लोकप्रिय हुआ। यद्यपि 17वीं शताब्दी में उदारवाद के जनक के रूप में जॉन लॉक का नाम प्रसिद्ध है। जोकि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष जोर देता है एवं सरकार को व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप की वकालत करता है। उदारवादी नारीवाद में यह माना जाता है कि ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। अतः लिंग के आधार पर समाज में स्त्री एवं पुरुष के मध्य विद्यमान असमानता का विरोध करता है तथा उनके समान अधिकारों की मांग करता है। स्त्री हो या पुरुष सभी को एक समान अधिकार समाज में मिलने चाहिए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से जो श्रेष्ठता एवं प्रबल शक्ति प्रदान की गयी है, महिलाएँ भी उसकी हकदार हैं। लिंग के आधार पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से की जाने वाली भेदभाव की मनाही करता है। उदारवादी नारीवाद के उफर पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि राजनीति एवं रोजगार के क्षेत्र में महिलाएँ आज भी पुरुषों की प्रतिस्पर्ध में कापफी पीछे हैं। यह केवल वैधनिक ईकाई बनकर रह गया है।

2. रेडिकल नारीवाद:-

सबसे पहले अमेरिका में रेडिकल नारीवाद का गठन सन् 1967 में किया गया। जोकि वामपंथी विचारधारा के अन्तर्गत माओवाद से बुरी तरह से ग्रसित था। रेडिकल नारीवाद में समाज में महिलाओं के साथ हो रहे शोषण, उत्पीड़न, दमन, अत्याचार, घरेलू हिंसा, बलात्कार एवं असमान व्यवहार के जड़ों की तलाश करता है। कौन सा ऐसा कारक है? जोकि इसके लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण से महिलाओं में चेतना एवं जागृति का विकास हुआ। बच्चों के लालन-पालन, पोषण एवं देखभाल को लेकर प्रश्न उठने आरम्भ हो गये। वेश्यावृत्ति जैसे गोरख-ध्ने में शिकार महिलाएँ अपनी इच्छानुसार नहीं करती, बल्कि वहाँ पर भी इनका शोषण किया जाता है। राज्य एवं समाज में बाध्यकारी एवं शक्तिशाली कानून भी पितृसत्ता को बढ़ावा देती है। अतः यह सि(न्त सम्पूर्ण संरचना की विरोधी है। रेडिकल नारीवादी समर्थकों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि व्यवहार में यह केवल गोरी चमड़ी वाली मध्यम-वर्ग की स्त्रियों का ही समर्थन करती है। जबकि तीसरी दुनिया अल्प विकासशील देशों की अश्वेत महिलाओं के उफर पर ध्यान नहीं देती है।

3. समाजवादी नारीवाद:-

पितृसत्ता एवं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति

समाजवादी नारीवाद के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि पूँजीवाद और पितृसत्ता में चोली और दामन का रिश्ता है जोकि एक-दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। पुरुष, वर्चस्व के रूप में पितृसत्ता की उत्पत्ति भले ही पूँजीवाद से पूर्व हुई हो, लेकिन वह पूँजीवाद को गतिमान रखने हेतु सहयोगी की भूमिका अदा करती है। वह पूँजीवाद द्वारा न केवल समर्थन पाती है बल्कि मजबूत भी होती है।

उनका यह भी मानना है कि पूर्व एवं पश्चिम के देशों में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा अहमियत प्रदान की गयी है। वे गुणवत्तापूर्ण ठोस एवं मजबूत वस्तुओं के उत्पादन में लगे रहते हैं। वहीं महिलाएँ केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित रहती हैं। जिनके कार्यों को मूल्यविहीन एवं ज्यादा महत्व नहीं प्रदान किया जाता है। जबकि पुरुष घर के बाहर उत्पादन के कार्यों में यदि पारिश्रमिक कार्य करता है तो महिलाएँ भी उसकी हकदार हैं, क्योंकि महिलाएँ न केवल अपने पति के लिए खाना बनाती हैं बल्कि परिवार में माता-पिता की देखभाल के साथ बच्चों के पालन-पोषण के कार्यों में भी लगी रहती हैं। जिसके लिए उन्हें किसी तरह का वेतन नहीं प्रदान किया जाता है और न ही उनके कार्यों को महत्व प्रदान किया जाता है। हमारे यहाँ के वामपंथी विचारधारा से सरोकार रखने वाले लोग महिलाओं के साथ निजी एवं सार्वजनिक कार्य-स्थलों पर हो रहे उत्पीड़न, दमन, शोषण एवं अत्याचार के सन्दर्भ में कहते हैं कि इसका मूल कारण जाति, लिंग एवं वर्ग को जिम्मेदार ठहराते हैं। दलित महिलाओं के साथ शोषण कैसे किया जा रहा है, इस पर वे ज्यादा पफोकस करते हैं। यह भारतीय समाज की विडम्बना है कि यहाँ पर जाति, लिंग, वर्ग, समुदाय, नस्ल, रंग एवं जन्म के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है।

मार्क्सवादी नारीवाद:-

मार्क्सवादी नारीवाद का विकास मार्क्स के दर्शन से परिलक्षित होता है। इस विचारधारा के समर्थकों का ऐसा मानना था कि समाज में महिलाओं के साथ हो रहे घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, शोषण, दमन, अत्याचार, असमान वेतन इत्यादि समस्याएँ व्यक्ति अपनी इच्छानुसार नहीं करता बल्कि वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना जिम्मेदार है जिसमें वह रहकर अपना गुजर-बसर करता है। यद्यपि समाज में महिलाओं के कार्यों को उतना महत्व नहीं प्रदान किया जाता जितना कि पुरुषों के कार्यों को समझा जाता है। मार्क्सवादी नारीवादियों का यह भी मानना था कि पुरुष एवं स्त्री के समान कार्यों के लिए एक समान वेतन नहीं प्रदान किया जाता है, जिसका कि वे कड़ी आलोचना करते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में औद्योगिक पूँजीवाद के आ जाने के कारण उत्पादन की प्रक्रिया घरों में न होकर आधुनिक मशीनों के माध्यम से कारखानों एवं पफेक्ट्रीयों में होने लगा। जिसमें बच्चे, महिलाएँ एवं पुरुष सभी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते थे, परन्तु 20वीं शताब्दी में वैश्वीकरण की प्रक्रिया आ जाने के कारण महिलाओं के उफपर नाकारात्मक प्रभाव पड़ा एवं उन्हें सस्ती मजदूरी दर तथा अपने कामों से हाथ धेना पड़ रहा है। मेहनतकश मजदूर वर्ग अपनी साकारात्मक उफर्जा एवं पारिश्रम से अतिरिक्त मूल्य का निर्माण करते हैं जिसे पूँजीपति लाभ के रूप में हरण कर लेते हैं।

मार्क्सवादी नारीवाद की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि वे महिला के अधिकारों के प्रति ज्यादा चिंतित नहीं थे। वह केवल इस बात की वकालत करने में लगे रहते थे कि पूँजीवाद को आगे बढ़ाने के लिए महिला श्रम का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए।

राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की सहभागिता:-

स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाये गये विभिन्न तरह के आंदोलनों जैसे:- स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एवं दांडी यात्रा में महिलाओं की सहभागिता से इंकार नहीं किया जा सकता। गांधी के स्वदेशी आंदोलन के अन्तर्गत जहाँ एक तरफ वह देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने पर बल दिया वहीं दूसरी तरफ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके आंदोलन को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। असहयोग आंदोलन में विदेशी शासन के साथ असहयोग एवं शराब की दुकानों को बन्द कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महात्मा गांधी भी महिला के अधिकारों के मुद्दे पर हमेशा सक्रिय रहे एवं किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ थे। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् भी महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, दमन, शोषण, बलात्कार, घरेलू हिंसा, बाल-विवाह, खाप-पंचायतों के निर्णयों, इस्लाम में शरीयत के कानूनों से मुक्ति एवं स्वतंत्रता अब तक नहीं मिल पायी है। भारतीय समाज का पितृसत्तात्मक संरचना का निर्माण ही कुछ इस तरह से है कि आज भी महिला घर की चहार दिवारियों के अंदर कैद होकर घुट-घुट कर मर रही है। परिवार में लड़कों की शिक्षा पर विशेष पफोकस किया जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु उन्हें विलायत भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ शहरों को छोड़ दिया जाय तो गाँवों में लड़कियों को उच्च शिक्षा नाम मात्रा ही मिल पा रही है एवं अल्पायु में ही शादी कर दी जाती है। वर्तमान समय में देखा जाय तो देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड जैसी शर्मनाक घटना आये दिन देखने एवं सुनने को मिलती है। ऑनर किलिंग के नाम पर महिलाओं के साथ हो रहे राक्षसी व्यवहार का यह दस्तूर भारतीय समाज में आज भी जारी है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाय तो इन सभी समस्याओं का मूलभूत स्रोत पितृसत्तात्मक संरचना ही है जिसमें आज भी भारतीय समाज मूसलाधर जड़ों की तरह जकड़ा हुआ है। इन सभी समस्याओं के प्रत्युत्तर में जब भी महिला संगठनों ने अपनी आवाज बुलन्द करने की कोशिश की पितृसत्तात्मक समाज के पैरोकारों ने भारतीय संस्कृति, परम्परा, अनुशासन एवं सभ्यता की दुहाई देकर उनके अधिकारों का केवल प्राचीन समय में ही नहीं बल्कि आज के समय में भी दोहन कर रहे हैं।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति:-

पितृसत्ता एवं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति

यह सत्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जहाँ पर आजादी के तुरन्त बाद ही महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों जैसे नंस, इंग्लैण्ड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार प्राप्त करने हेतु एक लम्बी लड़ाई के दौर से गुजरने के बाद प्राप्त हुआ। परन्तु सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की जैसी स्थिति है, क्या वैसी ही स्थिति पश्चिम में देखने को मिलती है? इसका उत्तर बहुत ही सरल है कि नहीं। वर्तमान समय में देखा जाय तो संसद में हर बार महिला सशक्तीकरण के नाम पर लोकसभा एवं विधनसभा में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का राग अलापा जाता है परन्तु संसद के पटल पर आज भी यह विधेयक लाल पफीताशाही की तरह पड़ा हुआ है। यद्यपि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गयी है, परन्तु सच्चाई यह है कि उनके राजनीतिक सत्ता का उपयोग प्रायः परिवार के पुरुष लोग ही करते हैं। भारतीय संसद में आज भी उनकी नुमाइंदगी नगण्य है। जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस बड़े लोकतंत्रा के धातल पर आज भी महिलाओं के साथ खाईनुमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता देखने को मिलती है। आजादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए, वह उससे कोषों मील दूर है। यह केवल भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ी विडम्बना नहीं है बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रा के उफपर सबसे गहरा धब्बा है। आज भी यहाँ विशेष रूप से दलित एवं आदीवासी महिलाओं के साथ जाति, धर्म, नस्ल, रंग एवं क्षेत्रा के आधार पर भेदभाव किया जाता है।

भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति:-

प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय में भी महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भारतीय समाज में दयनीय बनी हुयी है। पश्चिम की तुलना में भारतीय समाज में आज भी महिलाओं की स्थिति बदतर है। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना का ताना-बाना ही कुछ इस प्रकार से बना है कि आज भी यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहु-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियाँ प्रायः हर दिन देखने को मिलती हैं। पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में खाप-पंचायतों ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रखा है। यह किसी से छिपा नहीं है। जबकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्रा की मूल आत्मा मानव की स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व में रची-बसी होती है। अतः भारतीय लोकतंत्रा के उफपर यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज भी महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के समाप्त करने में वह विपफल साबित हो रहा है। आर्थिक क्षेत्रा में भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में समान कार्य हेतु महिलाओं को असमान पारिश्रमिक दिया जाता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड की हिन्दी पिफल्मों से लेकर विज्ञापन के एडवर्टाईजमेन्ट में यह खाईनुमा आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39:4-द्व में स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए एक समान वेतन प्रदान करने का प्रावधान है। अतः यह न केवल भारतीय लोकतंत्रा के उफपर प्रश्न-चिन्ह लगाता है बल्कि भारतीय संविधान के उफपर भी सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक असमानता भारतीय समाज में क्यों व्याप्त है?

सुझाव:-

भारतीय समाज में महिलाओं के साथ हो रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक असमानता को जड़ से समाप्त करने के सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते हैं।

1. निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के साथ कार्य-स्थल पर एक समान बर्ताव किया जाना चाहिए।
2. गर्वनमेंट क्षेत्रा की ही भांति निजी क्षेत्रों में भी महिलाओं के साथ गर्भधरण एवं बच्चे के पालन-पोषण हेतु अवकाश की सुविधा सरकार को नियम एवं कानून बना कर यथाशीघ्र लागू कर देनी चाहिए एवं अवकाश के समय पर वेतन पाने का संवैधानिक अधिकार होना चाहिए।
3. निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के साथ हो रहे संगीन अपराधिक मामलों की सुनवायी न्यायालय के द्वारा यथाशीघ्र करनी चाहिए एवं अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।
4. बड़े-बड़े महानगरों की भांति गाँव में रहने वाली लड़कियों को उच्च शिक्षाप्रदान करने हेतु सरकार को नयी नीतियाँ बनानी चाहिए क्योंकि भारत के राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी का कहना था कि पगाँवों के विकास के बिना, हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आज भी देश की 65% आबादी गाँवों में निवास करती है। महिलाओं को शिक्षित किये बिना हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते।
5. दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न तरह के हेल्प नम्बर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। इसकी सुविधा गाँवों एवं छोटे शहरों में रहने वाली महिलाओं को भी मिलनी चाहिए।
6. भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों के समान ही महिलाओं को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, तभी हम एक अच्छे एवं सुदृढ़ लोकतंत्रा की स्थापना कर सकते हैं। यदि लोकतंत्रा, स्वतंत्रता, समानता एवं बन्धुता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विपफल है तो भारत में एक समतामूलक समाज की स्थापना करना एक कोरी कल्पना के समान है।
7. आधुनिक संचार के संसाधनों जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, एफ.एम. चैनलों, मोबाईल एवं अश्लील साहित्यों में परोसे जाने वाले चलचित्रों एवं संवादों ने महिलाओं की छवि को धूमिल किया है। अतः इस पर साकारात्मक प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान होना चाहिए।

निष्कर्ष:-

पितृसत्ता एवं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति

उपर्युक्त विवेचनाओं एवं विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं के साथ हो रहे असमानता एवं भेदभाव का मूल कारण पितृसत्ता ही है, जोकि भारतीय समाज में सदियों से अपनी जड़े जमा रखा है। इस प्रकार की असमानता एवं भेदभाव केवल पूर्व में ही देखने को नहीं मिलती है बल्कि पश्चिम की महिलाएँ भी इससे ग्रसित हैं। पफर्क सिपर्फ इतना है कि वहाँ पर इसके शोषण का प्रकार अलग तरह का है। इन सभी तरह की विषमताओं का सामना करते हुए आज की भारतीय नारी न केवल पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धे मिलाकर भारतीय पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती दे रही है, बल्कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में भी पुरुषों की प्रतिस्पर्ध बनकर आगे निकल चुकी है। उदाहरण के तौर पर कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स जैसी महिला शख्शितों ने चाँद एवं मंगल पर पहुँचकर अपना परचम लहराने में सफलता अर्जित की है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आर्य, साधना, निवेदिता मेनन एवं जिनी लोकनीता (2001), फनारीवादी राजनीति, संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. जोशी, डॉ. गोपा (2006), पभारत में स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
3. देसाई, नीरा एवं उफषा ठाकर (2001), फवूमेन इन इण्डियन सोसायटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, वसन्तकुंज, नई दिल्ली।
4. जैक्सन, एलिजाबेथ (2010), फफेमिनिज्म एण्ड कन्टेमपोररी इण्डियन वूमेन्स राईटिंग, पालग्रेव मैकमिलन प्रकाशन, इंग्लैण्ड।
5. बिसवाल, डॉ. तपन (2008), फमानवाधिकार जेण्डर एवम् पर्यावरण, विभा प्रकाशन, दिल्ली।
6. बटलर, जुडिथ (1999), जेण्डर ट्रबल, फफेमिनिज्म दण्ड द सबवर्जन ऑपफ आइडेनटीटी, रूटलेज पब्लिकेशन, न्यूयॉर्क।
7. जैन, जसवीर एण्ड सुधराय (2002), फपिफल्म एण्ड फफेमिनिज्म, इसेयज इन इण्डियन सिनेमा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
8. पाडिया, चन्द्रकला (2002), फफेमिनिज्म ट्रेडिशन एण्ड मार्डननिटी, इन्स्टीट्यूट ऑपफ एडवांस स्टडी, पब्लिकेशन, शिमला।
9. चौधरी, मैत्रोयी (2004), फफेमिनिज्म इन इण्डियन, कली पफॉर वूमेन एण्ड वूमेन अनलिमिटेड, पब्लिकेशन, हौजखास, नई दिल्ली।